Ministry of Shipping

A Memorandum of Understanding on Maritime Issues between the Ministry of Shipping of the Republic of India and the Ministry of Industry, Business and Financial Affairs of the Kingdom of Denmark was approved by the Cabinet on 10th January, 2019. This MoU was signed by both the Ministers separately. The MoU was finally exchanged between myself and the Ambassador of Denmark in the presence of Hon'ble Prime Minister of India during the 9th Vibrant Gujarat Global Summit on 18th January, 2019 at Gandinagar. I am sending the original copy of the MoU. Necessary action may be taken on this.

21/1/2019
Gopal Krishna
Secretary (S)
January 21, 2019

JS (Shipping)

21/1

Consultant (SP)

Memorandum of Understanding on Maritime Issues between the Ministry of Shipping of the Republic of India and the Ministry of Industry, Business and Financial Affairs of the Kingdom of Denmark

The Ministry of Shipping of the Republic of India and the Ministry of Industry, Business and Financial Affairs of the Kingdom of Denmark and (hereinafter referred to as the "Parties"),

Desiring to strengthen the friendly relations between the two Parties,

Confirming their interest is supporting and developing cooperation in the maritime sector based on the mutual interests of their respective countries.

Have reached the following understanding:

Article 1
Objective

India and Denmark share a substantial interest in shipping, and the Parties wish to create favourable conditions for long-term cooperation on maritime issues for the mutual benefit of the two countries through the establishment of a Memorandum of Understanding (MoU).

The two Parties agree to hold a first meeting within 12 months after the signature of this MoU, to discuss the specific cooperative measures. The meeting is to be conducted between governmental officials representing the two Parties and may include industrial and academic representatives as deemed appropriate by either Party.

Article 2
Areas of Cooperation

The Parties, in accordance with the laws, regulations, rules, procedures and established policies prevailing in their respective countries, will cooperate in the following areas:

a) Shipping dialogue

The Parties recognize the importance of international and bilateral cooperation as a key driver to enable growth in international shipping including maritime transport and maritime offshore supply and service activities. Recognizing mutual interests, the Parties agree to maintain an open dialogue and share experiences aimed at strengthening the conditions for international shipping. In addition, the Parties will

explore areas for bilateral collaboration and facilitate cross-border cooperation and investments between the maritime sectors of India and Denmark.

b) Quality shipping

The Parties have a substantial interest in quality shipping defined as a high level of safety and security on board ships ensuring the health and protection of seafarers and shipping on clean oceans as well as ensuring digitalization. The Parties will exchange expertise, publications, information, data and statistics to improve their mutual capabilities for ensuring quality shipping under the flags of the two countries.

c) Cooperation on Port State Control

The Parties will cooperate on enhancing the Port State Control (PSC) mechanisms already in place under the Indian Ocean MoU and Paris MoU when ships in international service call at the ports of the two countries. The Parties will support international initiatives to prevent sub-standard shipping and will exchange experiences and information on the rules, regulation and enforcement of the Port State Controls carried out in India and Denmark.

d) Maritime training and education, research and development

The Parties will endeavour to promote and facilitate strengthened cooperation on training and education for the maritime industry. The Parties will promote cooperation in the field of maritime research and development.

e) Piracy

Piracy is an issue that impacts the entire international community. The Parties are determined to reduce the threat of piracy and armed robbery against ships, and will seek to increase their cooperation and coordination on piracy, including through the Contact Group on Piracy off the Coast of Somalia and ReCAAP. The Cooperation may, inter alia, involve the following measures:

i. discussions on forging the necessary international legal framework to enable the detention, prosecution and imprisonment of persons engaged in piracy;
ii. sharing information on evolving piracy tactics, in order to advise mariners on methods for preventing hijackings; and
iii. sharing information on anti-piracy operations.

f) Green maritime technology and shipbuilding

Considering the importance of addressing maritime environmental degradation, climate change and biodiversity loss, the Parties recognize the importance and common interest in green maritime technology and shipbuilding, and the desire to strengthen the cooperation, in manners including the following:

i. Promote the establishment of cooperative partnerships between major stakeholders (including those from the maritime industry and academia);
ii. Exchange of information and documentation related to green maritime technology and shipbuilding;
iii. Other forms of cooperation agreed by the two Parties, such as the training and education on green maritime technology and shipbuilding.

g) Classification Services

The parties will cooperate on granting the Indian Register of Shipping (IRS) the status of Recognized Organisation (RO), in accordance with relevant EU legislation, Danish legislation and the Danish RO Agreement, for carrying out statutory design appraisal, survey and certification of ships on behalf of Danish authorities.

h) Other maritime issues

The Parties may choose to cooperate on other maritime issues as jointly agreed upon. The parties agree on the importance of international cooperation within international forums such as the IMO and ILO, on various issues on maritime matters.

i) Joint Working Group on Shipping

The parties hereby agree that sustained cooperation in the field of merchant shipping and maritime transport related matters would be implemented through the Joint Working Group on Shipping. The JWG shall meet alternately in the Republic of India and in the Kingdom of Denmark on dates mutually agreed upon by the Parties.

Article 3
General Provisions

This Memorandum of Understanding is not intended to create any legally binding obligations.

This MoU will be carried out within the framework of the respective laws and regulations of two Parties and subject to the availability of appropriated funds and personnel of the Parties.

This MoU will have no effect on other agreements and memorandums between the Parties or those between either Parties and any third party.

This MoU shall not prejudice any rights, regulations or practices of a country.

Article 4
Settlement of Disputes

Any dispute or difference that may arise out of the interpretation or implementation of this MoU will be settled amicably through consultations between the Parties.

Article 5
Amendments

This MoU may be amended by an exchange of written notes between the Parties.

Article 6
Entry into Effect, Duration and Termination

This MoU will come into force on the date of its signing. It will remain in effect for a period of three (3) years and may be renewed for successive three (3) year periods, unless one Party notifies the other Party in writing of its intention to terminate it.

Either Party may terminate this MoU by giving to the other Party written notification three (3) months in advance.

The termination of this MoU will not affect the implementation of any ongoing activities, unless otherwise jointly decided by the Parties.

Signed in two originals in , on the 2019, in the English language.

For the Ministry of Shipping
Republic of India

For the Ministry of Industry, Business
and Financial Affairs
The Kingdom of Denmark.

भारत गणराज्य के पोत परिवहन मंत्रालय और किंग्डम ऑफ डेनमार्क के उद्योग, व्यवसाय एवं वित्तीय कार्य मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन

भारत गणराज्य का पोत परिवहन मंत्रालय और किंग्डम ऑफ डेनमार्क का उद्योग, व्यवसाय एवं वित्तीय कार्य मंत्रालय (इसक बाद "पक्षकारों" के रूप में संदर्भित),

दोनों पक्षकारों के बीच मित्रवत् संबंधों को प्रगाढ़ बनाने इच्छा रखते हुए,

अपने संबंधित देशों के परस्पर हितों के आधार पर समुद्रीय क्षेत्र में सहयोग के समर्थन एवं विकास में अपनी रुचि की पुष्टि करते हुए,

निम्नलिखित समझौते पर पहुंचे हैं:

अनुच्छेद 1

उद्देश्य

भारत और डेनमार्क पोत परिवहन में पर्याप्त रुचि रखते हैं, और ये पक्षकार एक समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) स्थापित करने के जरिए दोनों देशों के परस्पर लाभ हेतु, समुद्रीय मामलों पर दीर्घकालिक सहयोग के लिए अनुकूल स्थितियां पैदा करने के इच्छुक हैं।

विशिष्ट सहयोगी उपायों पर चर्चा करने के लिए, दोनों पक्षकार इस एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर होने के बाद 12 महीनों के भीतर पहली बैठक आयोजित करने पर सहमत हैं। यह बैठक दोनों पक्षों का प्रतिनिधित्व कर रहे सरकारी अधिकारियों के बीच होगी, जिसमें किसी भी पक्षकार द्वारा उचित समझे जाने पर औद्योगिक और शैक्षणिक प्रतिनिधि भी शामिल हो सकते हैं।

अनुच्छेद 2

सहयोग के क्षेत्र

पक्षकारों के संबंधित देशों के प्रचलित कानूनों, विनियमों, नियमों, प्रक्रियाओं और स्थापित नीतियों के अनुसार ये पक्षकार निम्नलिखित क्षेत्रों में सहयोग करेंगे:

1) पोत परिवहन संवाद

अंतर्राष्ट्रीय एवं द्विपक्षीय सहयोग के महत्व को दोनों ही पक्षकार एक मुख्य प्रेरक के रूप में मानते हैं, जिससे समुद्रीय अपतटीय आपूर्ति एवं सेवा गतिविधियों सहित समूचे समुद्रीय परिवहन में प्रगति करने में सहायता मिलेगी। परस्पर हितों को देखते हुए, दोनों ही पक्षकार अंतर्राष्ट्रीय पोत परिवहन हेतु स्थितियों को सुदृढ़ बनाने में एक खुली चर्चा कायम करने

और अनुभव साझा करने पर सहमत हैं। इसके अलावा, दोनों पक्षकार द्विपक्षीय सहयोग हेतु क्षेत्रों की तलाश करेंगे तथा भारत और डेन्मार्क के समुद्रीय क्षेत्रों के बीच सीमा-पार सहयोग एवं निवेश को बढ़ावा देंगे।.

2) उम्दा पोत परिवहन

दोनों पक्षकार उम्दा पोत परिवहन में रुचि रखते हैं जिसे पोत पर एक उच्चस्तरीय संरक्षा एवं सुरक्षा के रूप में परिभाषित किया गया है, जिससे स्वच्छ समुद्रों में नाविकों का स्वास्थ्य और उनका एवं पोत परिवहन का संरक्षण तथा डिजिटलाइज़ेशन सुनश्चित होगा। दोनों देशों के ध्वजों के तहत उम्दा पोत परिवन सुनिश्चित करने की दिशा में परस्पर क्षमताएं बढाने के लिए दोनों पक्षकार विशेषज्ञों, प्रकाशनों, सूचना, आंकडों और सांख्यिकी का आदान-प्रदान करेंगे।

3) पोर्ट स्टेट नियंत्रण पर सहयोग

पोतों के दोनों देशों के पत्तनों में अंतर्राष्ट्रीय सेवा में रहने पर, हिंद महासागर एम.ओ.यू. और पेरिस एम.ओ.यू. के अंतर्गत पहले से मौजूद पोर्ट स्टेट नियंत्रण (पीएससी) तंत्रों के संवर्धन पर दोनों पक्षकार सहयोग करेंगे। घटिया पोत परिवहन को रोकने की दिशा में दोनों पक्षकार अंतर्राष्ट्रीय पहल का समर्थन करेंगे तथा भारत और डेनमार्क में संचालि पोर्ट स्टेट नियंत्रण के नियमों, विनियमों एवं प्रवर्तन पर अनुभवों एवं सूचना का आदान-प्रदान करेंगे।

4) समुद्रीय प्रशिक्षण एवं शिक्षा, अनुसंधान एवं विकास

समुद्रीय उद्योग हेतु प्रशिक्षण एवं शिक्षा पर सहयोग को बढ़ाने और सुचारू करने के लिए दोनों पक्षकार प्रयास करेंगे। दोनों पक्षकार समुद्रीय अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देंगे।

5) समुद्री-डकैती

समुद्री-डकैती एक बड़ी समस्या है जो पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को प्रभावित कर रही है। दोनों पक्षकार पोतों की डकैती और सशस्त्र लूटपाट का खतरा कम करने को कटिबद्ध हैं, तथा समुद्री-डकैती पर अपना सहयोग एवं समन्वय बढ़ाने पर काम करेंगे, जिसमें सोमालिया के तट पर समुद्री-डकैती का संपर्क समूह और ReCAAP शामिल हैं। इस सहयोग में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उपाय शामिल होंगे:

i. आवश्यक अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढांचे को सुदृढ़ बनाने पर चर्चा, ताकि समुद्री-डकैती में लिप्त व्यक्तियों को पकड़कर उन पर मुकदमा चलाया जा सके और दंड दिया जा सके;
ii. समुद्री-डकैती की चालबाजी पर जानकारी साझा करना ताकि नाविकों को अपहरण रोकने के तरीकों पर सलाह दी जा सके; तथा
iii. समुद्री-डकैती-विरोधी अभियानों पर जानकारी साझा करना।

6) हरित समुद्रीय प्रौद्योगिकी एवं पोत-निर्माण

समुद्रीय पर्यावरण अपक्षय, जलवायु परिवर्तन और जैव-विविधता की हानि से निपटने के महत्व को देखते हुए, दोनों पक्षकार हरित समुद्रीय प्रौद्योगिकी एवं पोत-निर्माण के महत्व और समान रुचि को पहचानते हैं, तथा निम्नलिखित तरीकों से सहयोग बढ़ाने के इच्छुक हैं:

i. प्रमुख हितधारकों (समुद्रीय उद्योग एवं शैक्षणिक क्षेत्र सहित) के बीच सहयोगी भागीदारियां बढ़ाना एवं स्थापित करना;
ii. हरित समुद्रीय प्रौद्योगिकी एवं पोत-निर्माण से संबंधित जानकारी और दस्तावेजों का आदान-प्रदान करना;
iii. दोनों पक्षकारों द्वारा सहमत सहयोग के अन्य स्वरूप, जैसे हरित समुद्रीय प्रौद्योगिकी एवं पोत-निर्माण पर प्रशिक्षण एवं शिक्षा प्रदान करना।

7) वर्गीकरण सेवाएं

दोनों पक्षकार डैनिश प्राधिकरणों की ओर से पोतों की वैधानिक डिज़ाइन की समीक्षा, सर्वेक्षण एवं प्रमाणन हेतु संबंधित ईयू कानून, डैनिश कानून और डैनिश आरओ समझौते के अनुसरण में इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग (आईआरएस) को मान्यताप्राप्त संगठन (आरओ) का दर्जा दिए जाने पर सहयोग करेंगे।

8) अन्य समुद्रीय मुद्दे

दोनों पक्षकार संयुक्त रूप से सहमत अन्य समुद्रीय मुद्दों पर भी सहयोग कर सकते हैं। दोनों पक्षकार समुद्रीय मामलों की विभिन्न समस्याओं पर आईएमओ एवं आईएलओ जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के महत्व पर सहमत हैं।

9) पोत परिवहन पर संयुक्त कार्यदल

दोनों पक्षकार एतदद्वारा इस बात पर सहमत हैं कि वाणिज्ि‍यक पोत परिवहन एवं समुद्रीय परिवहन संबंधी मामलों के क्षेत्र में स्थायी सहयोग, पोत परिवहन पर संयुक्त कार्यदल (जे.डब्ल्यू.जी.) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा। जे.डब्ल्यू.जी. की बैठक दोनों पक्षकारों द्वारा सहमत तारीखों पर भारत गणराज्य और किंग्डम ऑफ डेनमार्क में बारी-बारी से आयोजित की जाएंगी।

अनुच्छेद 3
सामान्य प्रावधान

यह समझौता ज्ञापन किन्हीं कानूनी रूप से बाध्य दायित्वों के उद्देश्य से नहीं किया गया है।

यह एम.ओ.यू. दोनों पक्षकारों के संबंधित कानूनों एवं विनियमों के ढांचे के अधीन संचालित होगा तथा पक्षकारों की अनुमोदित निधियों एवं कर्मियों की उपलब्धता के आधार पर लागू होगा।

यह एम.ओ.यू. न तो दोनों पक्षकारों के बीच और न ही किसी भी पक्ष एवं किसी तीसरे पक्ष के बीच अन्य समझौतों एवं ज्ञापनों से प्रभावित होगा।

यह एम.ओ.यू. किसी भी देश के अधिकारों, विनियमों या प्रचलित पद्धतियों के पूर्वाग्रह के रूप में नहीं लिया जाएगा।

अनुच्छेद 4

विवादों का निपटारा

इस एम.ओ.यू. की व्याख्या या कार्यान्वयन से उठे किसी भी विवाद का निपटारा दोनों पक्षकारों के बीच परामर्श के जरिए शांतिपूर्वक किया जाएगा।

अनुच्छेद 5

संशोधन

दोनों पक्षकारों के बीच लिखित टिप्पणियों के आदान-प्रदान के जरिए इस एम.ओ.यू. में संशोधन किया जा सकता है।

अनुच्छेद 6

प्रभाव का आरंभ, अवधि एवं समाप्ति

यह एम.ओ.यू. इसके हस्ताक्षर करने की तारीख से लागू होगा। यह तीन (3) वर्षों की अवधि के लिए लागू रहेगा और जब तक कोई एक पक्षकार दूसरे को इसकी समाप्ति हेतु अधिसूचित नहीं करता, तो अगले तीन (3) वर्षों की अवधि हेतु इसका नवीकरण किया जा सकता है।

किसी एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को अग्रिम रूप से तीन (3) महीनों की लिखित अधिसूचना देने पर इस एम.ओ.यू. को समाप्त किया जा सकता है।

जब तक कि दोनों पक्षकारों द्वारा संयुक्त रूप से निर्णय न लिया जाए, तब तक इस एम.ओ.यू. की समाप्ति से किसी अन्य मौजूदा गतिविधियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

दो मूल दस्तावेजों पर पर, को, हिंदी भाषा में हस्ताक्षरित।

कृते भारत गणराज्य का
पोत परिवहन मंत्रालय

कृते किंग्डम ऑफ डेनमार्क का उद्योग, व्यवसाय एवं वित्तीय कार्य मंत्रालय